बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(अधिसूचना)

पटना, दिनांक ...12/10/12...

संख्या ...1539... भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन सहायक निदेशक एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनते हैं:-

अध्याय - I

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** - (1) यह नियमावली "बिहार अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2012" कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगी ।

2. परिभाषाएँ - इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो,

(i) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार अल्पसंख्यक कल्याण संवर्ग;

(ii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(iii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(iv) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(v) "मूल कोटि" से अभिप्रेत है सहायक निदेशक एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी; (दोनों पद समकक्ष माना जाएगा और सहायक निदेशक का स्थानांतरण जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद तथा विपर्येन (vice-versa) किया जा सकेगा ।

(vi) "सदस्य" या "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति;

(vii) "बिहार अल्पसंख्यक कल्याण संवर्ग" से अभिप्रेत है संवर्ग के विभिन्न कोटि के पद, यथाः-

सहायक निदेशक,

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,

तथा समय-समय पर इस संवर्ग में सृजित होने वाले अन्य राजपत्रित पद;

(viii) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची;

(ix) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष; तथा

(x) "किसी वर्ष के दौरान रिक्ति" से अभिप्रेत है एक वर्ष में बिहार अल्पसंख्यक कल्याण संवर्ग के नए पदों के सृजन या किसी सदस्य की सेवा निवृत्ति या मृत्यु अथवा सेवा से हटाये जाने अथवा पदच्युत किये जाने अथवा त्यागपत्र के चलते उलब्ध रिक्तियाँ अथवा पूर्व वर्षों की ऐसी रिक्तियाँ, जो भरी नहीं जा सकी हों ।

3. **संवर्ग की संरचना** - यह संवर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन होगा राज्य सरकार, समय-समय पर सेवा का संवर्ग-बल विनिश्चित कर सकेगी और इस नियमावली की अनुसूची- I में उल्लिखित पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त, इस संवर्ग के स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दे सकेगी ।

4. **पद-स्थिति** - संवर्ग के सदस्य राजपत्रित होगें ।

अध्याय - II

भर्ती

5. **भर्ती के स्त्रोत** - इस संवर्ग में मूल कोटि में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी तथा सहायक निदेशक की भर्ती, सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी । संवर्ग में पदाधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति

में पदों को, अस्थाई रूप से, सरकार के दूसरे विभागों के समकक्ष पदाधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा ।

6. **आरक्षण** - राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्ति में आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा ।

7. **रिक्तियों का अवधारण एवं आयोग को संसूचना** - राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को भरी जाने वाली रिक्तयों की संख्या अवधारित करेगी तथा इस प्रकार आरक्षण कोटिवार अवधारित रिक्तियों की सूचना प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक आयोग को संसूचित करेगी ।

8. **संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती** - आयोग, विभाग से कोटिवार रिक्तियों की संख्या प्राप्त करने के बाद विज्ञापन निकाल कर, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा, बिहार अल्पसंख्यक कल्याण संवर्ग के सभी मूल कोटि के पदों पर भर्ती के लिए पात्र अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करेगा ।

9. **पात्रता** - सेवा में सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित प्रक्रिया एवं विहित प्रावधानों के अनुसार होगा । इस संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता वही होगी जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विहित की गयी हो ।

10. **मौखिक जाँच** - आयोग द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए, आयोग द्वारा गठित बोर्ड के समक्ष, उपस्थित होना होगा ।

11. **चिकित्सा परीक्षा** - नियुक्ति के लिए चयनित प्रत्येक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष, चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा । केवल उसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा जो पदीय कर्तव्यों को दक्षता पूर्वक निष्पादित करने की दृष्टि से अपनी अपेक्षित शारीरिक योग्यता के संबंध में चिकित्सा बोर्ड को संतुष्ट करने में सफल होगा ।

12. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा** - आयोग लिखित एवं मौखिक जाँच के आधार पर मेधा सूची तैयार कर उसे प्रतिवेदित रिक्तियों के अनुसार संख्या की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा । पैनल केवल एक वर्ष के लिए वैध रहेगा । किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने अथवा अपेक्षित

अभ्यर्थियों का चयन न होने के चलते अवशिष्ट रिक्तियाँ अगले वर्ष के लिए अग्रणीत कर दी जायेंगी ।

अध्याय- III

13. **वरीयता** - इस नियमावली के अधीन इस संवर्ग में भर्ती किये गये सदस्यों की संबंधित वर्गायता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के अनुसार अवधारित की जायगी ।

14. **परिवीक्षा-अवधि** - (1) किसी मौलिक रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त प्रत्येक पदाधिकारी, अपने पदग्रहण की तिथि से दो वर्षो की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, परन्तु यदि कोई व्यक्ति स्थानापन्न रूप से या अस्थायी रूप से नियुक्त हो तो राज्य सरकार के आदेश से, उस अवधि की सेवा की गणना जो दो वर्षो से अधिक न हो, परिवीक्षा के रूप में की जा सकेगी ।

(2) राज्यपाल, परिवीक्षा की अवधि में या उसकी समाप्ति के समय, इस संवर्ग में भर्ती किए गये ऐसे किसी पदाधिकारी की नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे जो नियूक्ति संबंधी शर्तों को पूरा नहीं करता हो अथवा उसकी सेवा संतोष जनक नहीं रहने या अन्य कारणों से इस सेवा में सम्पुष्टि के योग्य नहीं हो ।

(3) प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद, अगली वेतन वृद्धि विहित विभागीय परीक्षा उर्त्तीर्ण होने के बाद अनुमान्य होगी ।

15. **सम्पुष्टि** - (1) इस संवर्ग में नियुक्त पदाधिकारी परिवीक्षा की अवधि की संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा यदि उसने विहित मापदण्ड के अनुसार विभागीय परीक्षा उर्त्तीर्णता प्राप्त की हो और राज्य सरकार उसे सम्पुष्टि के योग्य समझें ।

(2) सम्पुष्टि के पूर्व सभी पदाधिकारियों को राजस्व पर्षद द्वारा संचालित लिखित एवं मौखिक परीक्षा उर्त्तीर्ण करना आवश्यक होगा ।

16. इस संवर्ग के विभिन्न पदों के वेतनमान राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायेंगे या समकक्ष प्रतिस्थापन वेतनमान राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर घोषित किये जा सकेंगे ।

17. **प्रशिक्षण** - (1) इस संवर्ग के पदाधिकारियों को उन विषयों और उस अवधि के लिए जो सरकार कार्यपालक आदेश द्वारा निदेश दे, प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और इसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण भी शामिल होगा ।

(2) प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर किया गया मूल्यांकन विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष विचारण हेतु उपस्थापित किया जायेगा ।

(3) इस संवर्ग के पदाधिकारियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति दिये जाने के बाद, सरकार द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए पुर्नप्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

अध्याय - IV

अन्य सेवा-शर्तें

18. **इस संवर्ग के लिए अन्य सेवा-शर्तें** - अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी अनुमान्य सेवानिवृति लाभ, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना इत्यादि जो इस नियमवाली अधिन प्रावधानों से न आच्छादित हो या जो इस संवर्ग के लिए पृथक रूप से अधिसूचित न हों, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत अन्य सुसंगत नियमावलियों, आदेशों तथा परिपत्रों द्वारा शासित होगी ।

19. इस नियमावली में विहित प्रावधानों को यथा-अपेक्षित संशोधन करने का अधिकार होगा । प्रशासी विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु आदेश निर्गत कर सकेगा ।

20. यह नियमावली अधिसूचित किये जाने के बाद आगामी सत्रों में जो कुल चौदह दिनों या दो सत्रों में जो मिलकर चौदह दिनों के लिए हों, विधान मंडल के पटल पर रखी जायगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.10.12

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

अनुसूची - I

संवर्गीय पदों की संरचना, वेतनमान एवं संख्या

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी (38 जिलों में)	9,300-34,800 + ग्रेड पे 4,800 रु०	38
2	सहायक निदेशक (मुख्यालय में)	9,300-34,800 + ग्रेड पे 4,800 रु०	6

राज्य सरकार पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार भविष्य में वृद्धि अथवा कमी कर सकती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक .....1539..... पटना, दिनांक ...12/10/12.....

संख्या ..... बिहार अल्पसंख्यक कल्याण संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे संविधान के अनुच्छे 384 के खण्ड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.10.12

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव